न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
24/2021	01.02.2020	02.02.2021

उनवान

1 राजेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थिया

बनाम

1 केशरसिंह पुत्र जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

3 श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थिति :– 1– श्री बस्तीराम यादव, प्रार्थी वकील
2– श्री चन्द्रभान यादव, वकील अप्रार्थी

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 02.02.2021

1. प्रार्थिया का सारतः प्रार्थना पत्र रहा कि :–

यह है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 634/74 रकबा 1.01 है0 व खसरा नम्बर 636/74 रकबा 0.70 है0 में मिन प्रार्थी का 1/2 भाग व अप्रार्थी स0 1 का 1/2 भाग है। उक्त विवादित आरजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मौके पर मिन का प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 अपने अपने हिस्सेनुसार आराजी पर सामलात में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का आज दिनांक तक विधिक तकासमा नही हुआ है। अप्रार्थी स0 1 के मन में बदयान्ती आ रही है, जो राजस्व रिर्कोड में सामलाती इन्द्राज होने व सामलात में काश्त होने का बेजा फायदा उठाकर मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन प्रार्थी [illegible] हिस्से से बेदखल करना चाहता है तथा अपने नाम दर्ज आराजी को बिना विधिक तकासमा कराये ही विशिष्ठ भाग दर्ज कर, बेचान करना चाहता है तथा आराजी पर तारबन्दी करना चाहता है, जबकी आराजी राजस्व रिर्कोड में [illegible] के कारण, सामलाती आराजी में प्रत्येक काश्तकार [illegible] होना कानूनन की धारण है तथा अप्रार्थी स0 1 प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर, प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए मिन प्रार्थी का अब अप्रार्थी स0 1 के साथ सामलात में काश्त करना संभव नही रहा है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने हिस्से 1/2 भाग का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

तकासमाका मौके पर काबिज अनुसार कूर्रेजात रिर्पोट मंगवायी जाकर, रास्ता कायम कराते हुये बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा तकासमा पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी/वादि के द्वारा अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को ताः फेसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण सं 1 विवादित आराजी खसरा नम्बर 634/74 रकबा 1.01 है0 व खसरा नम्बर 636/74 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर को बिला विधिक तकासमा कराये कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी में काश्त कार्य फसल बोने व काटने में मजाहत पैदा करे, ना ही मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर, प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करे, व अप्रार्थी स0 2 व 3 को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजीयात के कोई दस्तावेजात पंजिबद्व नही करे, व मौके एवं राजस्व रिर्कोड की यथास्थिति बनाये रखे।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया। बाद सूचना अप्रार्थी सं0 01 जरिए अधिवक्ता दिनांक 21.10.2020 को जवाब पेश किया।
2. बहस सुनी गई।
3. प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा0 दी0 पर बहस सुनकर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा साक्ष्य एकत्रित नही की जा सकती। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है एवं पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वकील उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी का कथन रहा कि विवादित आराजी का विधिवत तकासमा हो जाने तक पूर्व में जारी स्थगन आदेश संपुष्ठ किया जावे। बहस वकील अप्रार्थी का कथन रहा कि क्यारा तहसील मुण्डावर में स्थित है अप्रार्थी कब्जेकाश्त खातेदार है। अप्रार्थी अपने आयी हिस्सेनुसार काश्त कर रहा है। वह प्रार्थी को किसी भी प्रकार से परेशान नही कर रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र को खारीज किया जावे।

–: आदेश :–

न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचन के आधार पर साबित पाए जाने पर पूर्व में जारी स्थगन आदेश को मूल वाद के निर्णय तक यथावत रखना उचित समझता है तथा अप्रार्थीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता [illegible] दीगर जगह रहन, बैय ना करें, ना कोई निर्माण कार्य करें, मौके की यथास्थिति [illegible] रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को [illegible] द्वारा लि[illegible] जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:18:06 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी/मजिस्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0